28/8/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधि. उप.। पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्य. दिवानी का निर्णय नहीं किया जा सका। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्य. दिवानी के निर्णय हेतु दिनांक 15/9/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 28/8/25

15/9/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उप.। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्य. दिवानी का निर्णय नहीं किया जा सका। पत्रावली वास्ते मजीद बहस हेतु दिनांक 24/9/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 15/9/25

24/9/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उप.। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्य. दिवानी पर उभय पक्षकारान् अधिवक्तागण की मजीद बहस सुनी गई। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक् से टंकित कराया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्य. दिवानी स्वीकार किये जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली नतीजा शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर) 24/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2019 राजस्व वाद

1. महावीर पिता स्व0 माधु जी दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. कमला पत्नी स्व0 माधु जी दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मी पत्नी शंकर जी दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. दिनेश पिता शंकर जी दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. रतन लाल पिता जमना लाल दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. धापु पत्नी जमना लाल दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी रूपपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. सोहन लाल पिता कुका जी दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी रूपपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम विकास पंचायत कोचरिया जरिए सचिव तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री कन्हैयालाल सेन अप्रार्थी/वादी
2. श्री दिनेश सिसोदिया प्रार्थी/प्रतिवादी

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

## प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0

निर्णय दिनांक—24/9/2025

वादी द्वारा दिनांक 03.07.2019 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद कम संख्या 34/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम संख्या 03 सोहनलाल पिता कुका की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 दिनांक 31.01.2025 को पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः—

वादीगण ने उक्त वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसमे अपने खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 175/11 व 177 का रकबा सेटलमेंन्ट के दौरान प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज कर दिया जाना बताया जिसमें ग्राम विकास पंचायत कोचरिया के खातेदारी की आराजीयात में भी 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज हो जाने के संबंध में अभिकथन अपने वाद में वादीगण ने करते हुये ग्राम विकास पंचायत कोचरिया को भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया हुआ है किंतु ग्राम विकास पंचायत कोचरिया को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के तहत 2 माह का मियादी रजिस्टर नोटिस दायरी दावे से पूर्व नही दिया गया है जो कि दिया जाना कानूनन आज्ञापक होकर लाजमी है। साथ ही वादीगण के वाद अनुसार उक्त आराजीयात दायरी दावे वक्त ग्राम विकास पंचायत के नाम पर होने से आबादी भूमि होती है तो फिर उक्त् वाद आबादी भूमि के होने के संदर्भ में होने से न्यायालय आपके श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नही रहता है। ऐसी हालत मे क्षेत्राधिकार के अभाव मे एवं विधिवत नोटिस के अभाव में यह वाद कानूनन पोषनीय न होकर सव्यय खारिज के है।

24/9/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण ने उक्त वाद सेटलमेंन्ट होने के लगभग 50 वर्ष से अधिक का समय व्यतित हो जाने के उपरांत प्रस्तुत किया है जो जाहिरा तौर पर बेरून मियाद होने से कानूनन पोषनीय न होने से काबिल खारिज के है।

वादीगण के सम्पूर्ण वादपत्र के परिशीलन करने के उपरांत उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध कोई बिनाय वाद उत्पन्न नही होती है। साथ ही जब कोई किसी प्रकार का वार्तालाप दिनांक 30.04.2019 को वादीगण एवं उत्तरदाता प्रतिवादी के मध्य नही हुआ है तो फिर उत्तरदाता प्रतिवादी के द्वारा इन्द्राज दुरस्ती बाबत इनकार किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। मात्र प्रकरण हाजा में काल्पनिक एवं दर्शनीय बिनाय वाद दर्शाने के दुराशय से अपने वादपत्र में उक्त अभिकथन सर्वथा गलत एवं झूठे अंकित किये है इस प्रकार बिनाय वाद के अभाव में यह वाद कानूनन पोषनीय न होकर काबिल खारिज के है।

वादीगण का वाद किसी कदर न्यायालय आपके श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है क्योंकि उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता कुका दरोगा को साबिक आराजी संख्या 179 में से 11 बीघा 11 बिस्वा आराजीयात विधिवत आंवटित कर कब्जा सूपुर्द किया गया। सेटलमेंन्ट के दौरान जरीब बडी नाप की उपयोग में लेने से उक्त आवंटनशुदा आराजीयात का रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा बनता है किंतु राजस्व रेकॉर्ड मे मात्र 06 बीघा 02 बिस्वा आराजीयात ही सेटलमेंन्ट के उपरांत उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता कुका के नाम पर दर्ज की गई। इस प्रकार 04 बीघा भूमि कम दर्ज की गई है जिस बाबत उत्तरदाता प्रतिवादी अलग से कार्यवाही करवाने का अधिकारी है जो आराजी संख्या 374 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा एवं आराजी संख्या 375 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा सेटलमेंन्ट के उपरांत कुका दरोगा एवं उनकी मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान उत्तरदाता प्रतिवादी सोहन एवं लादू के नाम पर दर्ज की गई और उक्त दोनों भाईयों के बीच विधिवत सहमति से विभाजन होकर कियान्वित कर लिया गया। जिसके संबंध में नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 05.05.2013 को हो चुका है। ऐसी हालत मे उक्त विभाजन को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही विहित समयावधि 3 वर्ष में निरस्त कराया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को इस प्रकार का वाद सुनने का श्रवणाधिकार नही है। इस कारण यह वाद विधि के तहत पोषनीय न होने से काबिल खारिज के है।

प्रकरण हाजा मे कुका दरोगा के वारिसान लादूलाल, बदामी आदि आवश्यक पक्षकार होते है। साथ ही जिन आराजीयात के संबंध में उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, वह आराजीयात आई.सी. आई.सी.आई बैंक शाखा पुर के यहां रहन होने से उक्त वित्तीय संस्था भी प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होती है, किंतु उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। जिसके अभाव में यह वाद ही कानूनन पोषनीय न होकर काबिल सव्यय खारिज के है।

अतः प्रार्थना है कि उत्तरदाता प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा वादी का वाद कानूनन पोषनीय न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 03 सोहन पिता कुका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० व धारा 151 जा०दी० का जवाब वादी की ओर से दिनांक 06.05.2025 को पेश किया गया जो निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है, इसका जवाब इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम पंचायत को व तहसीलदार भीलवाड़ा को धारा 109 व 80(2) जाब्ता दीवानी का नोटिस विधिवत रूप से प्रेषित किया गया जो प्रतिवादी ग्राम पंचायत व तहसीलदार भीलवाड़ा को प्राप्त हो गया है तथा रेकॉर्ड में दुरस्थी का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अतः गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। घौषणात्मक वाद में कोई मियाद निर्धारित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। मामलें को लम्बा करने के आशय से आवेदन पेश किया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी व धारा 151 जाब्ता दीवानी का खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का सम्यक रूप से निस्तारण हेतु वादपत्र के प्रक्थनों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

24/9/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में ग्राम मण्डपिया की साबिक आराजी संख्या 175/11 रकबा 7 बीघा व साबिक आराजी संख्या 177 रकबा 3 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन वादी के पूर्वजों को हुआ था। भू-प्रबन्ध बंदोबस्त के दौरान जरीब परिवर्तन होने से प्रति बीघा 3 बिस्वा की दर से भूमि कम होने के कारण वादीगण के नाम 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी, परन्तु वादीगण के नाम ग्राम मण्डपिया की आराजी संख्या 352, 370, 427/352, 372 कुल किता 04 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही दर्ज की गई, इस प्रकार 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई। जो प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की आराजी संख्या 353 में 1 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 के खाते की आराजी संख्या 374/1 में 1 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ग्राम पंचायत विकास के खाते की आराजी संख्या 351 में 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि मिलाकर दर्ज की हुई है जिसे वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाकर अपनी खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी एवं धारा 109 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान निम्नानुसार है:-

A. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
B. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
C. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
D. जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
E. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
F. जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

धारा 109 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान निम्न है:-

1. किसी पंचायती राज संस्था के विरुद्ध या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के निर्देशन में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन उसकी आधिकारिक क्षमता में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
   a. लिखित में नोटिस, जिसमें कार्रवाई का कारण, इच्छुक वादी का नाम और निवास स्थान और उसके द्वारा दावा की जाने वाली राहत की प्रकृति बताई गई हो, उसके कार्यालय में वितरित या छोड़ी गई हो या किसी सदस्य, अधिकारी, सेवक या पूर्वोक्त व्यक्ति के मामले में, उसे वितरित या कार्यालय में या उसके सामान्य निवास स्थान पर छोड़ी गई हो, के बाद दो महीने की समाप्ति तक संस्थित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वादपत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार वितरित या छोड़ी गई है, या
   b. जब तक कि यह अचल संपत्ति की वसूली या उसके स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद न हो, अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के पश्चात् हस्तांतरण के पश्चात् छह माह के भीतर अन्यथा संस्थित नहीं किया जाएगा।
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना, जब वह किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए आशयित हो, क्रमशः सरपंच, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित की जाएगी।

पत्रावली में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया।

24/9/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में प्रस्तुत आपत्तियों का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। वादी द्वारा वादपत्र 50 वर्ष से अधिक विलंब से पेश किये जाने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में मियाद अवधि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 की आपत्ति संख्या 02 पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उठाई गई आपत्ति संख्या 3 वाद कारण के संबंध में अंतिम रूप से निर्धारण साक्ष्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न होने से इस स्तर पर किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उठाई गई आपति संख्या 4 न्यायालय का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के संबंध में हमारी यह राय है कि वादी द्वारा अपने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क व 188 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त होने से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उठाई गई आपत्ति इस स्तर पर श्रवण योग्य नहीं होकर साक्ष्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आवश्यक पक्षकारों को विधिक द्वारा पक्षकार कायम नहीं किये जाने के संबंध में है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से वाद पत्र खारिज किया जाना युक्तियुक्त नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आपत्ति संख्या 01 में भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान वादी की खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 175/11 व 177 के कुल रकबे में से 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत कोचरिया के नाम दर्ज होने से धारा 109 पंचायतीराज अधिनियम अन्तर्गत आवश्यक 2 माह का नोटिस नहीं दिये जाने का अंकन किया गया है। इस संबंध में वादी/अप्रार्थी द्वारा दौराने प्रार्थना पत्र की बहस प्रतिवादी संख्या 4 को प्रेषित नोटिस की प्रतियां व पावती रसीद की प्रति पेश की है। परन्तु वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 31.05.2019 को जरिये रजिस्टर डाक नोटिस प्रेषित किये गये है और वादपत्र दिनांक 03.07.2019 को पेश किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा दो माह की अवधि का आवश्यक समय से कम अवधि से पूर्व ही वादपत्र पेश कर दिया गया है। वादी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 1109 के विधिक एवं आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के बिन्दु संख्या D से बाधित होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतएवं

**–ः आदेश ः–**

प्रतिवादी संख्या 3/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा